<u>गोपनीय</u>

पंचायती राज मंत्रालय

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-2026)

के लिए

'अनुदान मांग (2026-27)'

पर

की गई अनुवर्ती कार्रवाई

माह: मई **वर्ष: 2026**

संदर्भ: लोकसभा सचिवालय का.ज्ञा. सं.- LAFEAS-SCRD025/30/2026-RD&PR, दिनांक 10 मार्च, 2026

अनुदान मांग (2026-27) संबंधी सत्ताइसवीं रिपोर्ट (18वीं लोकसभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण

सिफारिश क्रम स.1 **पैरा सं.1**

1. बजट अनुमान और बीई-आरई में अंतर

समिति ने बजट के उपयोगके रुझान (2022–23 से 2025–26) की जांच से पाया कि वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, आरजीएसएके तहत ₹772.30 करोड़ के संशोधित अनुमान (RE) की तुलना में, 23 फरवरी 2026 तक ₹743.83 करोड़ खर्च किए गए। हालांकि संशोधित अनुमान (RE) की तुलना में उपयोग संतोषजनक लगता है, लेकिन समिति ने पाया कि लगातार वित्त वर्षों में बजट अनुमान (BE) से संशोधित अनुमान (RE)चरण में बार-बार किए गए बदलाव यह संकेत देते हैं कि या तो बजट अनुमान (BE)चरण में ज़रूरत से ज़्यादा अनुमान लगाया गया या वित्त वर्ष की शुरुआती तिमाहियों में कार्यान्वयन में देरी हुई। समिति ने यह भी नोट कियाहै कि हालांकि एकल नोडल एजेंसी (SNA) खातों में अव्ययित राशि 31 मार्च 2025 को ₹216 करोड़ से काफी कम होकर 20 फरवरी 2026 को ₹10.59 करोड़ हो गई है, लेकिन इस तरह के वित्तीय सुधार के साथ-साथ मांग का सही अनुमान और मंजूर की गई गतिविधियों का समय पर निष्पादन भी आवश्यक है। समिति का मानना है कि संशोधित अनुमान (RE)चरण में बार-बार बदलाव से खर्च की योजना बनाने, काम की गति और साल की शुरुआत में धनराशि के उपयोग में कमियों को दर्शाता है। इसलिए, समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि मंत्रालय पिछले उपयोग के रुझान, त्रैमासिक व्यय बेंचमार्क और वार्षिक कार्य योजनाओं(AAP) केशीघ्र अनुमोदन के आधार पर यथार्थवादी, प्रमाण-आधारित और डेटा-संचालित बजट पद्धति अपनाए। इसके अलावा समिति यह भी सिफारिश करती है कि साल के बीच में व्यय की बारीकी से समीक्षा की जाए और सुधारात्मक उपाय किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीई चरण में किए गए आवंटन में आरई चरण में अनावश्यक कटौती न हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

उत्तर: पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (RGSA) के तहत बजट के उपयोग के रुझान और व्यय के नियोजन के बारे में समिति की टिप्पणियों और सुझावों पर संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने पिछले इस्तेमाल के पैटर्न, त्रैमासिक व्यय के रुझान और वार्षिक कार्य योजनाओं(AAPs) के समय पर अनुमोदन के आधार पर एक व्यावहारिक और प्रमाण-आधारित बजटन की पद्धति अपनाने के सुझाव को नोट कर लिया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, पहली तिमाही में आम चुनावों के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि का समय पर उपयोग नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूपव्ययकी गति धीमी रही और एकल नोडल एजेंसी (SNA) खातों में बैलेंस जमा होता गया। तत्पश्चात् अव्ययित राशि वित्त वर्ष 2025-26 में आगे जोड़ा गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान एकल नोडल एजेंसी (SNA)नोडल खातों को एसएनए स्पर्श प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाने से भी व्यय में देरी हुई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फंड के उपयोगकी गति प्रभावित हुई। हालाँकि, मंत्रालय ने एकल नोडल एजेंसी (SNA)फ्रेमवर्क के तहत फंड के उपयोग और अव्ययित राशिकी बारीकी से निगरानी की, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अव्ययित राशि में काफ़ी कमी आई है।

अनुमोदित गतिविधियों को समय पर लागू करने और धनराशि का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यय के नियोजन, समय-समय पर समीक्षा और निगरानी के तरीकों को और अधिक मज़बूत बनानेके प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय का यह भी प्रस्ताव है कि संशोधित अनुमान (Revised Estimate) के चरण में अनावश्यक संशोधनों को कम करने के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, साल के बीच में व्यय की समीक्षा और सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

का.ज्ञा.सं. एच-11013(25)/3/2026 संसद **दिनांक: 08जून, 2026**

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

सिफारिश क्रम सं.2 **पैरा सं.2**

2. स्वामित्व को संशोधित रूप में जारी रखना

समिति ने नोट किया है कि स्वामित्वके तहत लगभग 3.29 लाख गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है, जो लक्षित कवरेज का लगभग 96 प्रतिशत है। इसके अलावा, 1.87 लाख गांवों में 3.08 करोड़ संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संतृप्ति (सैचुरेशन) हासिल कर लिया गया है। इस पर्याप्त वास्तविक प्रगति को स्वीकार करते हुए, समिति ने पाया कि सर्वेक्षण के बाद की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं – जिसमें भूमि सत्यापन, मानचित्रों में सुधार, आपत्तियों का समाधान, राज्य राजस्व डेटाबेस के साथ संपत्ति डेटा का एकीकरण और क्रेडिट लिंकेज का परिचालन शामिल है – अभी भी जारी हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि इतने बड़े पैमाने पर भू-स्थानिक संपत्तियां (नेशनल जियोस्पेशियल एसेट्स) बनाने के बावजूद, वित्त वर्ष 2026–27 में स्वामित्वके लिए कोई बजट आवंटन प्रस्तावित नहीं किया गया है, क्योंकि यह योजना मार्च 2026 में समाप्तहोने वाली है। समिति का यह विचार है कि किसी योजना के वित्तीय समापन की तुलना संस्थागत पूर्णता (इंस्टीट्यूशनल कंप्लीशन) से नहीं की जा सकती। ऐसे समय में जब डेटाबेस एकीकरण और शिकायत निवारण की प्रक्रियाएं चल रही हों, बजट सहायता को अचानक बंद करने से प्रशासनिक निरंतरता कमज़ोर हो सकती है, लंबे समय के फायदों पर असर पड़ सकता है और योजना के उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल करने में रुकावट आ सकती है, खासकर ग्रामीण संपत्ति के मुद्रीकरण (मॉनेटाइज़ेशन) और विवादों को कम करने के मामले में। समिति प्रबल रूप से सिफारिश करती है कि स्वामित्वको मार्च 2026 के बाद भी संशोधित रूप में जारी रखा जाए, जिसमें शेष गांवों के काम और सर्वेक्षण के बाद के सुधारों के लिए सही और फोकस्ड आवंटन हो; राज्य राजस्व डेटाबेस के साथ संपत्ति डेटा का समयबद्ध एकीकरण; एक संरचित शिकायत निवारण और अद्यतन तंत्र की स्थापना; जारी किए गए संपत्ति कार्ड के आधार पर क्रेडिट लिंकेज की निगरानी और सुविधा दी जाए; स्वामित्व भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल)डेटासेट को ग्राम मानचित्र और जीपीडीपी-आधारित स्थानिक नियोजन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाए;और बनाए गए भू-स्थानिक इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबे समय तक उपयोगिता बनाए रखने के लिए संपत्तिके अभिलेख को समय-समय पर अपडेट करने का एक सतत प्रोटोकॉल विकसित किया जाए।

सरकार का उत्तर

उत्तर:1 जून 2026 तक, लक्ष्य के अनुसार 3.38 लाख गांवों में से 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1.93 लाख गांवों के लिए 3.18 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख, मिजोरम, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल और असम में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। साथ ही, हरियाणा, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुच्चेरी, लक्षद्वीप और त्रिपुरा में यह योजना पूरी तरह लागू हो चुकी है (राज्य-वार प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-I**में है)। ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयार करने संबंधी शेष काम को पूरा करने के लिए, व्यय विभाग ने 19 मार्च 2026 के पत्र के माध्यम से स्वामित्वयोजना को छह महीने के लिए, यानी सितंबर 2026 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी है (**अनुलग्नक-II**)। योजना की बढ़ी हुई अवधि के लिए धनराशि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जा रहा है।

का.ज्ञा.सं. एच-11013(25)/3/2026 संसद **दिनांक: 08जून, 2026**

समिति की टिप्पणियाँ

***

सिफारिश क्रम सं.3 **पैरा सं. 3**

3. स्वामित्वके संदर्भ में बिहार और पश्चिम बंगाल मॉडल पर स्वतंत्र शोध अध्ययन आयोग

समिति ने नोट किया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों ने स्वामित्वयोजना को इसलिए नहीं अपनाया है क्योंकि वहां पहले से ही अधिकारों का अभिलेख प्रणाली मौजूद हैं। मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने कहा कि पुराने भूमि अभिलेखों के होने से ही भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) सटीकता, डिजिटल सत्यापन, संपत्ति कार्ड-आधारित स्पष्टता या आधुनिक स्थानिक डेटासेट के साथ एकीकरण अपने आप सुनिश्चित नहीं हो जाता। इसके अलावा, समिति ने सुझाव दिया गया कि एक व्यवस्थित तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन राज्यों में भूमिअभिलेख प्रणाली स्वामित्व फ्रेमवर्क की तुलना में बराबर हैं, बेहतर हैं या उनमें कमियां हैं। समिति का मानना है कि राष्ट्रीय निवेश के पैमाने और ग्रामीण संपत्ति प्रशासन नीति के दीर्घकालिक प्रभावों को देखते हुए, प्रमुख राज्यों द्वारा इससे अलग रहने का निर्णय केवल प्रशासनिक पत्राचार पर आधारित नहीं होना चाहिए। नीति की विश्वसनीयता और सहकारी संघवाद, दोनों के लिए प्रमाण-आधारित व्यवस्थित मूल्यांकन आवश्यक है। समिति प्रबल रूप से सिफारिश करती है कि मंत्रालय एक स्वतंत्र अनुसंधान अध्ययन आयोग या विशेषज्ञ तकनीकी समिति का गठन करे जो इनका तुलनात्मक मूल्यांकन करे: (i) स्वामित्वमानकों की तुलना में बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रचलित अधिकारों का अभिलेख और भूमि अभिलेख प्रणाली; (ii) जारी किए गए संपत्ति दस्तावेजों की भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) सटीकता, डिजिटलीकरण का स्तर और कानूनी मज़बूती; (iii) आम आदमी के लाभ के लिए ज़मीन विवादों में कमी, म्यूटेशन प्रक्रियाओं और क्रेडिट सुविधा पर प्रभाव; (iv) राजस्व डेटाबेस और स्थानिक नियोजन टूल्स के साथ एकीकरण; और (v) प्रशासनिक और तकनीकी कमियां, यदि कोई हों। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस तरह का अध्ययन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और यदि तुलनात्मक विश्लेषण से स्वामित्व फ्रेमवर्क के तहत ठोस लाभ प्रदर्शित होते हैं और योजना को न अपनाने वाले राज्यों की भूमि अभिलेख प्रणालियों में नवीन सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान की जाती है तो मंत्रालय को सामंजस्य के लिए संबंधित राज्यों के साथ संरचित तकनीकी बातचीत शुरू करनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के तहत उन्हें राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में शामिल करने की संभावना पर विचार करे। इस से, समिति बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि के व्यवस्थित तुलनात्मक मूल्यांकन की सिफारिश करती है, जहां भूमि का मालिकाना हक साझा है।

सरकार का उत्तर

उत्तर:उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ ज़मीन का मालिकाना हक साझा है, वहाँ भूमि अभिलेख का संरचनात्मक तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस) को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य सौंपा जा रहा है।

का.ज्ञा.सं. एच-11013(25)/3/2026 संसद **दिनांक: 08जून, 2026**

समिति की टिप्पणियाँ

***

सिफारिश क्रम सं.4 **पैरा सं. 4**

4. संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की निरंतरता

समिति ने नोट किया है कि मार्च 2026 तक की अवधि के लिए ₹5,911 करोड़ (जिसमें ₹2,211 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा शामिल है) के स्वीकृत बजट वाली केंद्र प्रायोजित योजना, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(RGSA), मौजूदा फाइनेंशियल साइकिल के अंत में समाप्त होने वाली है। मंत्रालय ने ₹7,860.83 करोड़ के बढ़े हुए बजट के साथ इसे जारी रखने का प्रस्ताव दिया है, और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,017.10 करोड़ का बजट अनुमान रखा गया है। समिति मानती है कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानने 2.56 लाख ग्राम पंचायतों में 24.15 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण में मदद की है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 49.6 प्रतिशत रही है। हालाँकि, साक्ष्योंकी जांच के दौरान, समिति ने कई अहम मुद्दों पर चिंता जताई। इनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम के नतीजों की गुणवत्ता, पेसा क्षेत्रों में मॉड्यूल की प्रभावशीलता, प्रमाणन प्रक्रियाएँ, ई-ग्रामस्वराज के तहत डिजिटल शासन के नतीजे, लेखापरिक्षण नियमों का पालन, परिसंपत्ति की जियो-टैगिंग, ग्राम सभा के कामकाज में पर्याप्त सुधार, तीसरे पक्ष से मूल्यांकन (थर्ड-पार्टी मूल्यांकन), वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण का प्रभाव, और पंचायत भवनों व डिजिटल उपकरणों समेत पंचायत की अवसंरचना की पर्याप्तता जैसे विषय शामिल थे। समिति ने यह भी नोट किया कि आईआरएमएऔर नीति आयोग जैसे संस्थानों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन तो किए गए हैं, लेकिन समिति के सामने प्रस्तुत दस्तावेजों में वित्तीय खर्च और शासन मेंउल्लेखनीय बदलाव के बीच नतीजों पर आधारित संयोजन को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। समिति प्रबलरूप से सिफारिश करती है कि एक मजबूत परिणाम-आधारित फ्रेमवर्क अपनाए जाने की शर्त पर, मार्च 2026 के बाद भी संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)को जारी रखा जाए। इस योजना में क्षमता निर्माण को उल्लेखनीय शासन संकेतकों से जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि ऑडिट अनुपालन, समय पर जीपीडीपीतैयार करना और अपलोड करना, स्वयं के स्रोतों से राजस्व बढ़ाना, संपत्तियों की जियो-टैगिंग, डिजिटल लेनदेन का अनुपालन और ग्राम सभाओं का प्रभावी कामकाज। समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का अनिवार्य रूप से तीसरे पक्ष से मूल्यांकन, व्यवस्थित प्रमाणन और प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन के तरीकों को लागू करने, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में डिजिटल शासन के पैमानों को शामिल करने, और पंचायत भवनों व डिजिटल उपकरणों सहित पंचायत की अवसंरचना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने की भी सिफारिश करती है। समिति इस बात पर जोर देती है कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)के तहत निरंतर मिलने वाली वित्तीय सहायता को केवल व्यय के लक्ष्य को पूरा करने के बजाय, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करने से स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

उत्तर: पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के करण, संविधान के तहत राज्य का विषय हैं। पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाने के लिए भवन पंचायत अवसंरचना, कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों में सहायता करके क्षमता निर्माण और सीमित अवसंरचना के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू करता है।

आरजीएसए के तहत, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रबोधन, पुनश्चर्या, विषयगत, विशेष और जीपीडीपी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन पहलों ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की सहभागी नियोजन और कार्यान्वयन को मजबूत किया है।

मंत्रालय ने पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की नेतृत्व, प्रबंधन और शासन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम और आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ भागीदारी की है, जिसके तहत 3,381 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने और क्रमशः महिला-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) पर विशेष मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। इन मॉड्यूल के तहत, 2,55,290 प्रतिभागियों को ओएसआर के लिए प्रशिक्षित किया गया है और 1,48,908 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को ओएसआर पर प्रशिक्षित किया गया है।

मंत्रालय लिंग आधारित समानता, समावेशी और संरक्षित ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायतों की संकल्पना को भी बढ़ावा दे रहा है; इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए महिला-नेतृत्व वाले शासन को मजबूत बनाना हैऔर यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत स्तर पर योजना, बजटन और सेवा प्रदायगी में महिलाओं की आवाज, जरूरतों और अधिकारों को मुख्यधारा में लाया जाए। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में कुल 744आदर्श महिला अनुकूल जीपी की पहचान की गई है।

मंत्रालय ने मार्च 2026 के बाद आरजीएसए को जारी रखने के संबंध में समिति की सिफारिशों पर संज्ञान लिया है और मापनीय सुशासन परिणामों और पीआरआई के संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर अधिक बल देते हुए योजना को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क में समय पर जीपीडीपी की तैयारी, लेखापरीक्षा का अनुपालन, स्वयं के राजस्व स्त्रोतों में वृद्धि, ईग्रामस्वराज के माध्यम से डिजिटल शासन, परिसंपत्ति जियोटैगिंग और ग्राम सभाओं के प्रभावी कामकाज, तीसरे पक्ष के मूल्यांकन और प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया जैसे संकेतकों पर जोर दिया गया है, यह प्रस्ताव योजना की स्वीकृति और निधियों की उपलब्धता के अधीन होगा।

का ज्ञा सं एच-11013(25)/3/2026-संसद **दिनांकः 08 जून, 2026**

समिति की टिप्पणियाँ

-

-

***

सिफारिश क्रम संख्या .05 **पैरा संख्या. 05**

5. स्वच्छता के रखरखाव के लिए संस्थागत प्रणाली का निर्माण

समिति ने यह भी नोट किया कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग के माध्यम से हस्तांतरित टाइड अनुदान का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता और पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने चिंता व्यक्त की कि विभिन्न योजनाओं के तहत परिसंपत्तियां बनाई जा रही हैं, लेकिन उनके दीर्घकालिक रखरखाव के लिए संस्थागत व्यवस्था कमजोर बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप गांव स्तर पर स्वच्छता अवसंरचना का क्षरण हो रहा है। समिति का विचार है कि एक समर्पित और जवाबदेह रखरखाव प्रणाली के अभाव में टाइड अनुदानों के माध्यम से किए गए निवेश की स्थिरता प्रभावित होती है और सेवा-प्रदायगी परिणाम भी कमजोर पड़ जाते है। समिति दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करती है कि मंत्रालय, राज्यों से परामर्श करके, ग्राम पंचायत स्तर पर एक समर्पित ग्राम स्वच्छता रखरखाव समिति के निर्माण के लिए दिशानिर्देश जारी करे, जो स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए टाइड अनुदान के स्वच्छता घटक का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है । इस व्यवस्था को स्वच्छता अवसंरचना के रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए, ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से डिजिटल रिपोर्टिंग के साथ आवधिक रखरखाव लेखापरीक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए, ग्राम सभा की निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करनी चाहिए, और सेवप्रदायगी के मापनीय मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। समिति ने आगे जोर दिया कि स्वच्छता परिसंपत्तियों की स्थिरता को उनके निर्माण के समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और टाइड निधियों को सुनिश्चित दीर्घकालिक रखरखाव और कार्यक्षमता में व्यवस्थित रूप से सहायता करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

उत्तर: पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जो टाइड अनुदान के लिए नोडल विभाग है, से इस अवलोकन के संबंध में इनपुट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। डीडीडब्ल्यूएस से प्राप्त इनपुट **अनुलग्नक-III** में संलग्न है

का ज्ञा सं एच-11013(25)/3/2026-संसद **दिनांकः 08 जून, 2026**

समिति की टिप्पणियाँ

सिफारिश क्रम संख्या 06 **पैरा 06**

6. टाइड और अनटाइड निधि का युक्तिकरण/विलय

समिति ने यह भी नोट किया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मंत्रालय का कुल बजट अनुमान ₹1190.16 करोड़ है, जिसमें पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त निधि आवंटित की गई है। साथ ही, मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के दौरान 16वें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम संवितरण को सुनिश्चित करने की इच्छा जताई। साक्ष्य के दौरान, समिति ने वित्तीय अधिकार के हस्तांतरण की प्रवृत्ति और निधियों के उपयोग में पंचायतों को उपलब्ध वास्तविक छूट के बारे में चिंताएं जताईं। समिति का मानना है कि हालांकि उत्तरवर्ती वित्त आयोगों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान की जाने वाली निधि में काफी वृद्धि की है, लेकिन इन अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता और पेयजल जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए "टाइड" है। हालांकि इस तरह से निधि तय करने से विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देना सुनिश्चित होता है, लेकिन समिति का मानना है कि निधि का अत्यधिक बंधन पंचायतों की उन प्राथमिकताओं पर काम करने की क्षमता सीमित करता है, जिन्हें ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) के ज़रिए स्थानीय स्तर पर तय किया गया है। समिति ने यह भी नोट किया कि वित्तीय अनुशासन में सुधार—जैसे कि बिना खर्च हुए एसएनए बकाया को ₹216 करोड़ (31.03.2025 तक) से घटाकर ₹10.59 करोड़ (20.02.2026 तक) करना—निधि के प्रवाह के बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। समिति पुरज़ोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर, वित्त आयोग के अनुदानों की व्यवस्थित समीक्षा करे। इसका उद्देश्य टाइड और अनटाइड निधि के हिस्सों को तर्कसंगत बनाना और आंशिक रूप से एकीकृत होना चाहिए, ताकि पंचायतों के लिए अनटाइड निधि का दायरा (fiscal space) सार्थक रूप से बढ़ सके। समिति इस बात पर ज़ोर देती है कि इस तरह के बदलावों में टाइड और अनटाइड निधि के बीच संतुलन होना चाहिए, सेवा-प्रदायगी के मापनीय संकेतकों के ज़रिए क्षेत्र-विशेष की जवाबदेही बनी रहनी चाहिए, ई-ग्राम स्वराज, पीएफएमएसऔर ऑडिट ऑनलाइन के ज़रिए डिजिटल पारदर्शिता अनिवार्य होनी चाहिए, और अनटाइड निधि के उपयोग के लिए ग्राम सभा की मंज़ूरी ज़रूरी होनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी गईटाइडऔर अनटाइड निधि की राशि और प्रतिशत हिस्से का राज्य-वार डेटा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाना चाहिए। समिति आगे भी सिफारिश करती है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का अर्थ अनुच्छेद 243छके अनुसार निर्णय लेने की वास्तविक स्वायत्तता होनी चाहिए, ताकि पंचायतें केवल निर्धारित योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों के बजाय स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में विकसित हो सकें।

सरकार का उत्तर

उत्तर: टाइड और अनटाइडघटकों को युक्तिसंगत बनाने और आंशिक रूप से विलय करने के संबंध में, प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त आयोग के अनुदान की संरचना, जिसमें क्षेत्र-विशिष्ट टाइड और अनटाइडघटक शामिल हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है और सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है। पेयजल और स्वच्छता (राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन सभी राज्यों में सेवा प्रदायगी के बुनियादी मानक को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। चूंकि टाइडऔर अनटाइडअनुदानों की डिजाइन और संरचना वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए मंत्रालय के पास परिवर्तन करने की सीमित शक्तियां हैं।

16वें वित्त आयोग (एफसी-16) ने देश भर में पेयजल और स्वच्छता में सुधार लाने में प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं-स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), अमृत और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के मजबूत प्रभाव पर प्रकाश डाला। इन कार्यक्रमों ने पर्याप्त आधारभूत संरचना तैयार की है, नागरिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, 15वें वित्त आयोग (एफसी 15) से टाइड अनुदान सहित निरंतर सरकारी निधि के माध्यम से वर्ष 2025 तक स्थायी परिणाम प्राप्त हुए हैं।

आयोग ने बताया कि यह प्रगति सतत विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और जलवायु अनुकूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि 15वें वित्त आयोग की टाइड निधियों का उपयोग पेयजल आपूर्ति की तुलना में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अधिक प्रभावी ढंग से किया गया था, जिससे स्वच्छता में मजबूत लाभ दिखाई दिया और जल प्रबंधन में अप्रयुक्त क्षमता को उजागर किया गया।

उपरोक्त को देखते हुए, आयोग ने सिफारिश की है कि मूल अनुदान का 50 प्रतिशत टाइड हो, जबकि मूल अनुदान का शेष 50 प्रतिशत और संपूर्ण निष्पादन अनुदान अनटाइड हो। टाइड घटक को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और/या जल प्रबंधन के लिए निर्धारित किया जाना है, जिसमें इन क्षेत्रों के तहत संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय सहित स्थानीय प्राथमिकताओं में सहयोग देने के लिए स्थानीय निकायों को पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया गया है।

जहां तक राज्यवार आंकड़ों के वार्षिक प्रकाशन के संबंध में सिफारिश का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने पहले ही 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधियों और हिस्सेदारी सहित आवंटन एवं रिलीज के संबंध में राज्यवार डेटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। हालाँकि, इस संबंध में समिति की सिफारिश को आगे अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 243छ के अनुरूप पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराता है। कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक हस्तांतरण को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पीआरआई कार्यान्वयन एजेंसियों से अलग स्थानीय शासन की सक्रिय इकाइयों में विकसित हो सकें।

संविधान का अनुच्छेद 243छ राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को स्व-शासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों, जिम्मेदारियों और अधिकार के साथ संपन्न करने का अधिकार देता है, जिससे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकें और ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों से संबंधित योजनाओं को लागू कर सकें, जिसमें ग्रामीण अवसंरचना और सेवाओं के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

हालाँकि, राज्य सरकारों के प्रयासों को विभिन्न क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रभावी कामकाज को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके पूरा करने का प्रयास करता है।

का ज्ञा सं एच-11013(25)/3/2026-संसद **दिनांकः 08 जून, 2026**

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

***

सिफारिश क्रम संख्या 07 **पैरा संख्या 07**

<u>आरजीएसए के तहत हिंसा से मुक्ति और लिंग आधारित संवेदीकरण पहल</u>

समिति ने नोट किया कि पहली बार, निर्भया फंड के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए ₹ 17.00 करोड़ और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति पुरुषों को जागरूक बनाने के लिए ₹ 13.00 करोड़ के विशिष्ट आवंटन को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरजीएसए के तहत अनुमोदित किया गया है। समिति ने यह भी नोट किया कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या लगभग 49.6% है, जमीनी स्तर के शासन में महिलाओं की पर्याप्त उपस्थिति को देखते हुए, उनकी कानूनी जागरूकता बढ़ाने, संस्थागत विश्वास और लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा के लिए लक्षित सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समिति का विचार है कि पेश किए गए ये नए घटक लैंगिक-उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, इस तरह के आवंटन का प्रभाव संरचित कार्यान्वयन, मापनीय परिणामों और मौजूदा कानूनी और संस्थागत प्रणाली के साथ अभिसरण पर निर्भर करेगा। समिति यह भी सिफारिश करती है कि दो नए शुरू किए गए घटकों के तहत ₹ 30.00 करोड़ के आवंटन को परिभाषित प्रदर्शन संकेतकों के साथ एक स्पष्ट, परिणाम-उन्मुख अवसंरचना के माध्यम से लागू किया जाए। मंत्रालय को महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल को मानकीकृत करना चाहिए, पुरुष प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए लिंग-संवेदीकरण कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए, और शिकायत निवारण, सुरक्षा प्रणाली और निर्णय लेने में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी से संबंधित मापनीय संकेतकों को निर्धारित करना चाहिए। इन सुधारों के तहत प्राप्त लक्ष्यों, व्यय और परिणामों को इंगित करने वाली एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए। समिति इस बात पर जोर देती है कि आवंटन के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में ठोस चाहिए, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

उत्तरः पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत लिंग आधारित घटकों के कार्यान्वयन के संबंध में समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर ध्यान दिया है। मंत्रालय डब्ल्यूईआर के क्षमता निर्माण और महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति पुरुषों को जागरूक करने से संबंधित प्रयासों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक परिणाम-उन्मुख अवसंरचना अपनाने का प्रयास करेगा।

आरजीएसए के तहत, सहभागी योजना निर्माण और जमीनी स्तर के शासन को मजबूत बनाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रबोधन, पुनश्चर्या, विषयगत, विशेष और जीपीडीपी से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने नेतृत्व /प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम और आईआईटी जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ भी सहयोग किया है, जिसके तहत 3,381 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने और महिला नेतृत्व शासन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) पर विशेष मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जिससे क्रमशः 2.55 लाख और 1.48 लाख प्रतिभागी लाभान्वित हुए है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 744आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है ताकि लैंगिक समानता, समावेशी और संरक्षित पंचायतों को बढ़ावा दिया जा सके और योजना निर्माण और सेवा प्रदायगी में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को मुख्यधारा में लाया जा सके।

मंत्रालय ने पंचायती राज नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक-उत्तरदायी शासन को मजबूत बनाने के लिए निर्भया फंड के तहत दो परियोजनाओं की भी शुरुआत की है। महिला भागीदारी, शिकायत निवारण और सुरक्षा प्रणाली से संबंधित मापनीय संकेतकों के साथ-साथ कानूनी सुरक्षा उपायों, लैंगिक संवेदीकरण, नेतृत्व और संस्थागत सहायता प्रणाली पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सुरक्षा, विश्वास और नेतृत्व क्षमता में सुधार के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। चूंकि निधि का प्रशासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) द्वारा किया जाता है, इसलिए यह डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ही है जो इन सुधारों के तहत निर्धारित लक्ष्यों, व्यय और परिणामों को इंगित करने वाली रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है।

का ज्ञा सं एच-11013(25)/3/2026-संसद **दिनांकः 08 जून, 2026**

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

***

सिफ़ारिश क्रम संख्या 8 **पैरा संख्या 8**

<u>पंचायतों के लिए राजस्व सृजन में वृद्धि</u>

समिति ने नोट किया कि पंचायतें वर्तमान में सरकार से मिलने वाले अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता सीमित हो जाती है। राजस्व सृजन को बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर देते हुए, समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य स्थानीय उद्ग्रहण के माध्यम से अपना राजस्व सृजित करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। स्थायी राजस्व मॉडल विकसित करने में पंचायतों की मदद करने के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, जिससे राज्य और केंद्रीय अनुदान पर उनकी निर्भरता कम हो। आत्मनिर्भर पंचायतों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए जो स्थानीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाते हैं। समिति वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और कार्यदक्षता में सुधार के लिए ईग्रामस्वराज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और परिसंपत्तियां बनाने और पीआरआई की आय बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं का बेहतर उपयोग करने की भी सिफारिश करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

उत्तर: पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) के बेहतर जुटाव के माध्यम से पंचायतों के वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय ने ग्राम पंचायत के वित्तीय लचीलापन को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

(i) मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मज़बूत बनाने के लिए ओएसआर पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों को कर और गैर-कर स्रोतों से ओएसआर जुटाने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। इसमें स्थानीय संसाधन जुटाना, कर नियमों के बेहतर अनुपालन के लिए व्यवहारिक समझ, राजस्व का अनुमान लगाना, परियोजना वित्तपोषण और नवाचारी परियोजना वित्तपोषण के नए तरीके आदि शामिल हैं। यह प्रभावी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी के साथ ओएसआर आयोजना को भी जोड़ता है।

(ii) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने "समर्थ पंचायत पोर्टल" विकसित करके पंचायतों के ओएसआर संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कर और गैर-कर मांगों के उत्पादन, कर रजिस्टरों के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह डिजिटल सशक्तिकरण स्थानीय वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, कार्यदक्षता और मापनीयता लाने के लिए बनाया गया है।

(iii) सोलहवें वित्त आयोग (एफसी16) ने राजकोषीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान पर निर्भरता को कम करने के लिए पंचायतों के ओएसआर को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। आयोग ने निर्धारित बेंचमार्क या राजस्व संग्रह में वार्षिक वृद्धि सहित ओएसआर बढ़ाने में उनके प्रदर्शन के साथ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान का एक हिस्सा जोड़ने की सिफारिश की है। इस संबंध में, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सिफारिश किए गए कुल अनुदान का 20%, जो लगभग ₹ 87,048 करोड़ है, को स्वयं के राजस्व स्रोत में सुधार और अन्य शासन सुधारों से जुड़े प्रदर्शन-आधारित अनुदान के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

(iv). आयोग ने पंचायतों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क, बाजार शुल्क और सामुदायिक परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के माध्यम से राजस्व जुटाने में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, जीआईएस-आधारित संपत्ति मानचित्रण, पारदर्शी लेखांकन प्रणालियों और राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए पंचायत पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण की भी सिफारिश की है। सिफारिशों का उद्देश्य वित्तीय रूप से सशक्त और जवाबदेह पंचायतों का निर्माण करना है जो बेहतर स्थानीय शासन और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हों।

(v). पंचायती राज मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम' तैयार किया है और इसे लॉन्च किया है - एक चुनौती आधारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम जिसका उद्देश्य पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि करना है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें स्थायी, पेशेवर रूप से डिजाइन किए गए और स्थानीय रूप से प्रासंगिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

(vi). पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी), 2025 पर आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए) भी शुरू किया है और यह पहली बार है कि मंत्रालय ने ओएसआर में वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में ग्राम पंचायतों के बेहतरीन प्रयासों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए खास तौर पर 'विशेष श्रेणी के पुरस्कार' शुरू किए हैं।

पीआरआई के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और कार्यदक्षता में सुधार के लिए, मंत्रालय ने ईग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in), उपयोगकर्ताअनुकूल वेब-आधारित पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित परिसंपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। आसान भुगतान, पारदर्शी खरीद और पंचायत खातों के लेखांकन के लिए ऐप को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), ऑडिटऑनलाइन ऐप के साथ और एकीकृत किया गया है।

का.ज्ञा. संख्या – एच 11013 (25)/3/2026- संसद दिनांक: 08 जून, 2026

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

-

सिफ़ारिश क्रम संख्या 9 **पैरा संख्या 9**

<u>पेसा अधिनियम, 1996 का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी</u>

समिति ने नोट किया कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के शासन में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देकर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालाँकि, इसके अधिनियमन के लगभग तीन दशक बाद, समिति चिंता के साथ देखती है कि राज्यों में पेसा का कार्यान्वयन असमान और अपर्याप्त बना हुआ है। कई राज्यों ने या तो अपने पंचायती राज कानूनों को अधिनियम के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं किया है या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, लघु वन उपज, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विवाद समाधान से संबंधित मामलों में ग्राम सभा की शक्तियों को चालू करने में विफल रहे हैं। समिति ने मंत्रालय की उन पहलों पर ध्यान दिया है जिनमें प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना, राज्य स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और अमरकंटक की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में पेसा पर 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' बनाना शामिल है। हालांकि, समिति का मानना है कि इन कोशिशों का ज़मीनी स्तर पर लोगों के सशक्तिकरण के रूप में कोई खास असर अभी तक नहीं दिखा है। समिति ने यह भी देखा है कि जनजातीय समुदायों में पेसा के तहत मिलने वाले अधिकारों और प्रावधानों के बारे में जानकारी अभी भी कम है, और इसके लागू होने की निगरानी करने वाली संस्थागत प्रणाली भी कमज़ोर बनी हुई हैं। इसलिए, समिति यह सुझाव देती है कि पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर, सभी 'पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों' में पेसा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक समय-सीमा वाली राष्ट्रीय कार्य-योजना तैयार करे। इस योजना में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, ग्राम सभाओं और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्थित क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, और ज़िला व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल होने चाहिए, ताकि ग्राम सभाओं को मिले कानूनी अधिकारों की सही समझ सुनिश्चित की जा सके। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों (जैसे सरपंच, पंचायत सचिव और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सदस्य) के लिए ज़िला-स्तर पर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं। इन कार्यक्रमों में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, छोटे वन उत्पादों के प्रबंधन, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और ज़मीन अधिग्रहण व विकास परियोजनाओं में सलाह-मशविरे से जुड़े प्रावधानों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति ने राज्यों में पेसा प्रावधानों के लागू होने की निगरानी और जवाबदेही के लिए एक मज़बूत प्रणाली बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है।इस संबंध में, मंत्रालय एक राष्ट्रीय पेसा कार्यान्वयन डैशबोर्ड विकसित करने पर विचार कर सकता है, जिसे राज्यों से समय-समय पर रिपोर्टिंग और ग्राम सभा स्तर पर स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण द्वारा सहायता प्रदान हो। समिति का विचार है कि ग्राम सभाओं की शक्तियों का व्यवहारिक रूप से किस हद तक प्रयोग किया जा रहा है, इसका आकलन करने के लिए मापने योग्य संकेतक विकसित किए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतें संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियमों के तहत बनाई और चलाई जाती हैं। इसलिए, पंचायतों से जुड़े सभी मामले - जैसे कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में प्रभावी कामकाज के लिए समय-सीमा वाली कार्य योजना बनाना, पेसा के तहत प्रावधानों और अधिकारों के बारे में जनजातीय समुदायों में जागरूकता फैलाना, पेसा अधिनियम को लागू करना, क्षमता निर्माण के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि, महिला निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, और स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण- संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दस पेसा राज्यों में से, नौ राज्यों ने अपने संबंधित पेसा नियमों को अधिसूचित किया है। पेसा नियमों में निहित प्रावधान पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों, जनसांख्यिकीय संरचना, जनजातीय समुदायों आदि की सीमा के साथ-साथ राज्यों में भिन्न होते हैं। ऐसी विविधता को देखते हुए, सभी पेसा राज्यों पर लागू होने वाली एक समान राष्ट्रीय कार्य योजना संभव नहीं हो सकती है। प्रत्येक राज्य के लिए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी कार्य योजना तैयार करना अधिक उपयुक्त होगा। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, प्रत्येक राज्य संस्थागत आवश्यकताओं, क्षमता निर्माण आदि की रूपरेखा तैयार करते हुए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है।

पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजना, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत राज्यों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाता है। पेसा को आरजीएसए के विशेष प्रशिक्षण के तहत शामिल किया गया है। पेसा के तहत बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण के लिए, प्रशिक्षण विषयों को पेसा के प्रमुख विषयों के आधार पर नौ उप-विषयों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन पेसा के मुख्य विषयों के आधार पर और व्यवस्थित व विषय-आधारित क्षमता निर्माण को संभव बनाने के लिए किया गया है।इनमें शामिल हैं: (i) पेसा ग्राम सभाओं को मज़बूत बनाना; (ii) लघु वन उत्पाद और वन अधिकार अधिनियम (एफ़आरए); (iii) छोटे खनिज; (iv) ज़मीन का अधिग्रहण, ज़मीन के हस्तांतरण को रोकना और छोटे जल निकायों का प्रबंधन; (v) साहूकारी (money lending) पर नियंत्रण; (vi) नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर रोक और नियमन; (vii) विवाद सुलझाने के पारंपरिक तरीके; (viii) पेसा-आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी); और (ix) पेसा अधिनियम और राज्य पेसा नियम, कानूनी प्रावधान, संवैधानिक और नियामक ढांचा और राज्य के पंचायती राज कानूनों के साथ तालमेल। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, 10 पेसा राज्यों में कुल 1,744 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए, जिनमें राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर 103,384 प्रतिभागियों को शामिल किया गया; इनमें ग्राम सभा के सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि, महिला निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत अधिकारी शामिल थे।

जहाँ तक राज्यों में पेसा प्रावधानों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निगरानी और जवाबदेही ढांचा स्थापित करने का सवाल है, यह मंत्रालय समिति के ध्यान में लाना चाहेगा किमंत्रालय ने पेसा सूचकांको का एक सेट तैयार किया है। यह सूचकांक कई पैमानों पर आधारित है, जैसे कि राज्य सरकारों द्वारा पेसा के तहत पंचायती राज कानूनों और अन्य संबंधित कानूनों में किए गए संशोधन, राज्य के पेसा नियमों का पेसा अधिनियम के अनुरूप होना, पेसा स्टाफ की तैनाती, और पेसा के तहत प्रशिक्षण और अभिविन्यास

इत्यादि। इसे हर साल जारी किया जाएगा। वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाली पेसा राज्यों की रैंकिंग वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी की गई है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए हैं। मंत्रालय ने सभी पेसा-संबंधित जानकारी, जिसमें कानूनी प्रावधान, राज्य नियम, प्रशिक्षण सामग्री, रिपोर्ट और मल्टीमीडिया संसाधन शामिल हैं, तक पहुंचने के लिए एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक समर्पित पेसा पोर्टल भी विकसित किया।

का.ज्ञा. संख्या – एच 11013 (25)/3/2026- संसद दिनांक: 08 जून, 2026

समिति की टिप्पणियाँ

-

सिफ़ारिश क्रम संख्या 10 पैरा संख्या 10

<u>पंचायतों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता</u>

समिति ने नोट किया है कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों की व्यवस्थित क्षमता निर्माण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है।समिति ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण माध्यमों, जिनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, आईपी-आधारित प्रणाली और सोशल मीडिया शामिल हैं, का लाभ उठाने के प्रयासों की सराहना की है, साथ ही नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे प्रमुख संस्थाओं के साथ इसके सहयोग की सराहना की है। समिति ने यह भी नोट किया कि योजना के कार्यान्वयन के बाद से बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों और हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है। हालाँकि, समिति ने पाया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमता की कमी 43 पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कामकाज को, विशेष रूप से विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता के संदर्भ में, प्रभावित करती है। समिति का विचार है कि क्षमता निर्माण के प्रयासों का विस्तार होने के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, पहुंच और निरंतरता में सुधार पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए उन्नत नेतृत्व, शासन और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए अतिरिक्त उत्कृष्टता संस्थानों, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रतिष्ठित शैक्षणिक निकायों के साथ साझेदारी का विस्तार करके, राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण संरचना को और मजबूत करे, साथ ही देश भर में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के लिए निरंतर और मांग-आधारित सीखने की सुविधा के लिए मानकीकृत डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित करे।ऐसी पहलों में स्थानीय विकास योजना, वित्तीय प्रबंधन, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अभिसरण, डिजिटल शासन, जलवायु अनुकूल ग्रामीण विकास और सामाजिक जवाबदेही प्रणाली जैसे क्षेत्रों को शामिल करने वाले विशिष्ट विषयगत मॉड्यूल शामिल होने चाहिए, ताकि विकास परिणाम देने में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यात्मक क्षमता बढ़ सके।मंत्रालय आरजीएसए और क्षमता-निर्माण की अन्य पहलों के तहत चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रयासों से ज़मीनी स्तर पर शासन और सेवा प्रदायगी में सुधार हो, एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा भी बना सकता है। इसमें व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रणाली, परिणाम-आधारित संकेतक और समय-समय पर प्रभाव का आकलन शामिल हो सकते हैं।

सरकार का उत्तर

उत्तर: पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत क्षमता-निर्माण ढांचे को मजबूत बनाने के संबंध में समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है। योजना के तहत, सहभागी योजना और जमीनी स्तर के शासन को मजबूत बनाने के लिए उन्मुखीकरण, पुनश्चर्या, विषयगत, विशेष और जीपीडीपी से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय ने नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) के तहत आईआईएम और आईआईटी जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया है, जिसके तहत 3,381 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर खास मॉड्यूल भी तैयार किए गए हैं, जिनसे क्रमशः 2.55 लाख और 1.48 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समावेशी, लैंगिक-उत्तरदायी और महिलाओं के नेतृत्व वाली स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए 744 मॉडल महिला-अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है।

शासन और निगरानी को मजबूत बनाने के लिए, मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के साथ संरेखित पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) विकसित किया है, और पंचायत में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल शासन को बढ़ाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी), जिसमें ईग्रामस्वराज, ऑडिटऑनलाइन, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी), और नागरिक-केंद्रित प्लेटफॉर्म शामिल हैं, को लागू कर रहा है।

प्रशिक्षण सुधारों और जमीनी स्तर पर शासन परिणामों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए मानकीकृत डिजिटल शिक्षण मॉड्यूल, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और संरचित प्रतिक्रिया, परिणाम-आधारित संकेतकों और समय-समय पर प्रभाव आकलन के माध्यम से मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली पर भी जोर दिया जा रहा है।

मंत्रालय ने पहले ही आरजीएसए के मूल्यांकन अध्ययन को संस्थापित कर दिया है, जिसे ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) द्वारा आयोजित किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि संशोधित आरजीएसए ने प्रभावी ढंग से शासन करने और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण(एलएसडीजी) पर वितरण करने के लिए पीआरआई की क्षमता को स्पष्ट रूप से बढ़ाया है। इस योजना में क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके ज्ञान, कौशल और डिजिटल उपकरणों को बेहतर बनाकर सशक्त बनाते हैं, ताकि ज़मीनी स्तर पर शासन को बेहतर किया जा सके। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि नए सिरे से तैयार आरजीएसए ने प्रशिक्षण में केवल दिखावटी बदलाव ही नहीं किए, बल्कि प्रशिक्षण के बाद हितधारकों के मूल्यांकन से पता चला कि पंचायत के कामकाज, नियोजन और कार्यान्वयन, डिजिटल शासन, नागरिकों की भागीदारी और वित्तीय स्थिरता के बारे में उनकी समझ में काफ़ी सुधार हुआ है।

का.ज्ञा. संख्या – एच 11013 (25)/3/2026- संसद **दिनांक: 08 जून, 2026**

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

-